Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1068/2004/जिला जैसलमेर

1– राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार नाचना नं01 जिला जैसलमेर।
––अपीलांट

बनाम

1–श्रीमति जमी बेवा अलाबचाये खॉ
2–कादर खॉ
3–इनायत खॉ
4–अब्दुलसलाम
पिसरान अलाबचाये समस्त जाति मुसलमान निवासीगण मोहरेवाला जिला जैसलमेर
5–किसनाराम पुत्र दानामा जाति जाट निवासी ढाणी बरसीगसर तहसील व जिला बीकानेर
––रेस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री वी श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री श्याम लाल गुर्जर,सदस्य

उपस्थितः–
श्री वी0पी0 सिंह अभिभाषक अपीलांसट की ओर से
श्री रमजान मोहम्मद अधिवक्ता रैस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21–2–18

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के निर्णय दिनांक 19–12–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार हाल रेस्पोडेंट के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188 एवं 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125 ,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपायुक्त उप निवेशन इ.ग्रा.न.प. नाचना के समक्ष हाल अपीलार्थी एवं किशनाराम पुत्र दानाराम के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम मोहरेवाला तहसील पोकरण में साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 57.10 बीघा, खसरा नंबर 5 रकबा 46 बीघा व 39 रकबा 126 .10 बीघा पर श्री अलाबचाये खॉ का नाम समरी में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुआ, परन्तु सैटलमेंट विभाग ने वादीगण के नाम 81. 10 बीघा भूमि का पटटा तो जारी कर दिया एवं शेष नये खसरा नंबर 669/910 एवं 674 जिसका वर्तमान चक 4–7 डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिसे दुरस्त किया जा कर वादीगण को इस विवादित

आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। दावे का जबाव दावा राज्य सरकार की ओर से पेश किया एवं दावे में वर्णित तथ्यों से इंकार किया और दावा खारिज करने का निवदेन किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दावा व जबाव दावा के आधार पर 4 तनकियात कायम कर एवं गावहों के बयानों पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–03 द्वारा दावे को डिक्री कर दिया । जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के समक्ष पेश की गयी, जिसे उन्होने उभयपक्ष की बहस सुनकर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–03 यथावत रखते हुए अपील को निरस्त करने का निर्णय दिनांक 19–12–2003 को पारित कर दिया। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हाल रेस्पोडेंट जो दावा लेकर आये थे उसकी ताईद में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद नही था जिससे मौजूदा रेस्पोडेंट का नाम बतौर गैर खातेदार अंकित हो, जो भूमि मोजूदा रेस्पोडेंट के नाम जो भूमि सैटलमेंट के समय 81 बीघा थी उसे भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पट्टा गैर खातेदारी का जारी कर दिया था किन्तु दोनो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये केवल मात्र मौखिक बयानों पर अपना निर्णय पारित किया है जो कानून के विपरीत है। उनका आगे तर्क है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत केवल उन्ही व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है जिनके आरटीएक्ट के समय लागू होने के समय जो कि सं02012 पडता है, की जमाबन्दी में नाम हो किन्तु दोनो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है।उन्होने अगे बताया कि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा तैयार अधिकार अभिलेख के विरुद्ध मौजूदा रेस्पोडेंट के द्वारा कोई चाराजोही समयावधि में नही की थी अगर कोई एतराज था तो उसी समय चुनौती दी जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री से विवादित आराजी वादीगण के नाम गैरखातेदारी घोषित की है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान गैरखतोदारी घोषित करने का आरटीएक्ट 1955 में नहीं है। उनका आगे तर्क है कि विवादित आराजी में से कुछ भूमि श्री बेगाराम कुछ भूमि किशनाराम को आवंटित की थी एवं उनके पक्षमें इंतकाल भी स्वीकृत हो चुका था लेकिन उन्हे बिना पक्षकार बनाये ही दावा पेश किया था जो चलने योगय नही था। इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही कर दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय पारित किये है, वे कानून सम्मत नही है क्योकि धारा 15 एएए आरटीएक्ट 1955 के तहत केवल मात्र कब्जे के

आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, लेकिन उक्त प्रावधान को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है जो खारिज योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर विवादित हाल आराजी चक 4–7डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा को सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित करने का निवेदन किया।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का तर्क है कि रेस्पोडेंट ग्राम मोहरेवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के सद्भावी निवासी है एवं पेशे से काश्तकार तथा श्री अलाबचाये खॉ पुत्र श्री बागबक्स साकिन मोहरेवाला के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी है। उनका तर्क है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व भूमि के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही था। दावाधीन भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। सैलमेंट संम्वत् 2012 से 2013 में विवादित साबिक खसरा नम्बर रोही मोहरेवाला में वादिया जमी के पति व शेष रेस्पोडेंट के पिता श्री अलाबचाये के नाम से समरी में बतौर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा सं0 2012 से 2034 तक रेस्पोडेंट के पिता का नाम बतौर गैर खातेदार के रुप में दर्ज रहा है। उनका यह भी तर्क है कि भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में दर्ज शुदा एवं पूर्व से कादिमी कब्जाकाश्त की भूमि को राजस्व रिकार्ड से हटा कर सिवायचक दर्ज करने का कोई हक व अधिकार हांसिल नही था। सेटलमेंट की यह कार्यवाही नल एण्ड वाईड है। इसके अलावा उनका आगे तर्क है कि रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत गवाह ने भी अपने बयानों में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रेस्पोडेंट का होना बताया है तथा विवादित भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेंट का सं0 2011से 2032 तक काश्त बतौर गैर खातेदार कृषक रहा है। इसके बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित रकबा बिना किसी सुनवाई के सिवाय चक दर्ज करने पर वादीगण का कब्जा व काश्त बतौर अतिक्रमी का रहा । उन्होने आगे बताया कि रेस्पोडेंट का विवादित आराजी पर कब्जा सं0 2011 से है जिसके आधार पर ही रैस्पोडेंट को विवादित भूमि पर पुनः गैरखातेदार अंकित किया गया है। ऐसीस्थिति में विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को विवादित आराजी का कृषक मानते हुए दावा डिक्री किया है जो उचित व कानून सम्मत है, जिसकी पुष्टि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विस्तृत एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर है, जिनमें हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2004 पेज 17, आरबीजे (7)2000 पेज 376 एवं 2017 आरबीजे पेज 513 को उद्धरित किया।

6— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के दोनो निर्णयों का अध्ययन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल रेस्पोडेंट के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88—188 एवं 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125 ,136 राजस्थानभू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपायुक्त उप निवेशन इ.ग्रा.न.प. नाचना के समक्ष हाल अपीलार्थी एवं किशनाराम पुत्र दानाराम के विरुद्ध विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 57.10 बीघा, खसरा नंबर 5 रकबा 46 बीघा व 39 रकबा 126 .10 बीघा पर श्री अलाबचाये खॉ का नाम समरी में बतौर गैर खातेदार दर्ज था, परन्तु सैटलमेंट विभाग ने वादीगण के नाम 81.10 बीघा भूमि का पट्टा तो जारी कर दिया एवं शेष नये खसरा नंबर 669/910 एवं 674 जिसका वर्तमान चक 4—7 डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा को सिवायक कर दिया गया जिसे दुरस्त किया जाकर वादीगण को इस विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दावे व जबावदावे के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम कर एवं गावहों के बयानों लेकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13—6—2003 को दावे को डिक्री कर दिया ।जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के समक्ष पेश की गयी, जिसे उन्होने उभयपक्ष की बहस सुनकर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13—6—03 यथावत रखते हुए अपील को निरस्त करने का निर्णय दिनांक 19—12—2003 को पारित कर दिया।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल रेस्पोडेंट जो दावा लेकर आये थे उसकी ताईद में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद नही था जिससे मौजूदा रेस्पोडेंट का नाम बतौर गैर खातेदार अंकित हो, मोजूदा रेस्पोडेंट के नाम सैटलमेंट के समय 81 बीघा भूमि थी उसका भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पट्टा गैर खातेदारी का जारी कर दिया था किन्तु दोनो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना रिकार्ड को देखे केवल मात्र मौखिक बयानों पर हाल चक 4—7 डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा बावत जो निर्णय पारित किया है जो कानून के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत केवल उन्ही व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है जिनका आरटीएक्ट लागू होने के समय जो कि सं0 2012 पडता है, की जमाबन्दी में नाम थे। किन्तु दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा तैयार

अधिकार अभिलेख के विरुद्ध मौजूदा रेस्पोडेंट के द्वारा कोई चाराजोही समयावधि में नही की थी। वादी को कोई एतराज था तो उसी समय उसे चुनौती दी जानी चाहिए थी।अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री से हाल चक 4–7 डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा भूमि गैरखातेदारी घोषित की है, गैर खतोदार घोषित करने का आरटीएक्ट 1955 में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि धारा 15 एएए आरटीएक्ट 1955 के तहत केवल मात्र कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, लेकिन उक्त प्रावधान को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए के तहत रेस्पोडेंटस को विवादित आराजी पर किसी प्रकार के गैर खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही होते है। केवल वादी का अधिकार 81बीघा भूमि पर ही सीमित है। चक 4–7 डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा भूमि पर रेस्पोडेंट के कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरे वर्तमान प्रकरण पर लागू नही होती है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर उक्त भूमि को पुनः राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर रेस्पोडेंट को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश देना उचित समझते है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपील स्वीकार कर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 19–12–2003 एवं उपायुक्त उपनिवेशन इन्द्रा गांधी नहर परियोजना नाचना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–2003 खारिज किया जाता है । वर्तमान चक 4–7 डीडब्ल्यूएम मु0नं012/48 रकबा 21 बीघा,12/56 रकबा 20बीघा एवं 12/64 रकबा 8 बीघा कुल 49 बीघा का वादी/रेस्पोडेंट को गैर खतोदार घोषित किया है किया है ,उसे निरस्त किया जाता है। जिला कलक्टर जैसलमेर को आदेश दिये जाते है कि वे वादीगण/ रेस्पोडेंट को विवादित आराजी से बेदखल करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला कलक्टर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(श्याम लाल गुर्जर)
सदस्य

(वी श्रीनिवास)
अध्यक्ष